

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

जनपद फतेहपुर में विन्ध्या टेलीलैक्स लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन प्लॉट नं0 ई 237 टावर ग्रीन, तृतीय तल फेज-8 बी औद्योगिक क्षेत्र मोहाली द्वारा खागा-विजईपुर-नरैनी-सातों-औरैई-रामपुर किमी0 0.00 से 27.50 तक एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर किमी0 0.00 से 59.00 तक कुल लम्बाई 86.50 किमी0 एवं 0.8961 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र 0.8961 हे0 के स्थान पर दो गुने क्षेत्रफल अर्थात् $(0.8961 \times 2 = 1.7922 \text{ हे0})$ में वृक्षारोपण हेतु फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत फतेहपुर रेंज में 1.7922 हे0 अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुसुम्भी वन ब्लाक का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, प्रासोपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

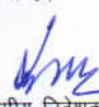
क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण कार्य सुरक्षा खाई सहित मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 223/15-1(सिलिंग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार तथा वृक्षारोपण अनुसूचण (तृतीय वर्ष से द्वादशम वर्ष तक) की आवश्यक धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 403/2-37-2(सिलिंग दर), दिनांक 14.09.2018 से जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है -

भूमि का प्रकार- ऊसर

श्रम दर - ₹0 175.00

क्र0सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹0 में)	द्वितीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर (₹0 में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे0	1.7922	55190.00	0	98911.52
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे0	1.7922	46500.00	0	83337.30
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	25475.00	28022.50	50221.92
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	21659.00	23824.90	42698.99
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	13777.00	15154.70	27160.25
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5836.00	6419.60	11505.21
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5836.00	6419.60	11505.21
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5192.00	5711.20	10235.61
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5192.00	5711.20	10235.61
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5192.00	5711.20	10235.61
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5192.00	5711.20	10235.61
12	द्वादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	1.7922	5192.00	5711.20	10235.61
Total							376518.46
Or							376518.00

नोट :- तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) द्वादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है।


 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर